

उत्तराखण्ड शासन
पशुपालन अनुभाग-3(मत्स्य)
अधिसूचना

13 मार्च, 2024 ई0

संख्या-102/XV-3/2024-06(04)2004-राज्यपाल, उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनियम, 2003 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड मत्स्य नियमावली, 2013 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड मत्स्य (संशोधन) नियमावली, 2024

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मत्स्य (संशोधन) नियमावली, 2024 है।
(2) यह दिनांक 01.11.2021 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।
- परिशिष्ट-छः(1) के क्रमांक-08 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड मत्स्य नियमावली, 2013 में परिशिष्ट-छः (1) के क्रमांक-08 को निम्नलिखित रूप से एतद्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्:-

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

नियम-परिशिष्ट-छः(1) का क्रमांक-8

शिकारमाही सारणी

क्र0 सं0	जलक्षेत्र का नाम	अनुज्ञापित शिकारमाही विधि	परमिट/ लाइसेंस वैधता अवधि	बीट आवंटन की विधि निविदा के माध्यम से	निषेध अवधि	शिकारमाही के निषिद्ध क्षेत्र का स्थान
1	2	3	4	5	6	7
8.	जलाशय	समस्त मान्य शिकारमाही विधियाँ	दस वर्ष	खुली ई-निविदा के आधार पर	01 जुलाई से 30 सितम्बर तक मत्स्य आखेट पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।	-

आज्ञा से,

डा0 बी0वी0आर0सी0 पुरुषोत्तम,
सचिव।

(2)

In pursuance of the provisions of Clause (3) of article 348 of the 'Constitution of India', the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 102/XV-3/2024-06(04)2004 Dated- March 13, 2024 for general information.

NOTIFICATION

March 13, 2024

No. 102/XV-3/2024-06(04)2004--In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3 of the Uttarakhand Fisheries Act, 2003, the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand Fisheries Rules, 2013:-

The Uttarakhand Fisheries (Amendment) Rules, 2024

Short Title and commencement 1. (1) These Rules may be called the Uttarakhand Fisheries (Amendment) Rules, 2024.

(2) It shall be deemed to have come into force on the date 01-11-2021

Amendment of Serial No. 8 of Appendix-VI (1) 2. In Uttarakhand Fisheries Rules, 2013 Serial No. 8 of Appendix-VI(1) shall be substituted as follows, namely:-

Rule hereby substituted

Rule-Serial No.8 of Appendix-VI(1)

Table of Fishing

S. No.	Name of water body	Licensed Fishing Method	Permit/ License Validity Period	Method of Beat Allocation through Tender	Prohibited Period	Fishing Prohibited Area of Zone
1	2	3	4	5	6	7
8	Water Reservoir	All Valid Fishing Methods	Ten Years	On the basis of Open e-Tender	Fishing shall be wholly Prohibited from 01 July to 30 September	—

By Order,

DR. B.V.R.C. PURUSHOTTAM,

Secretary.

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 26-04-2025, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 02 पशुपालन/242-09-06-2025-100 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)